न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल (म.प्र.) ग्वालियर,(म.प्र.)
(सर्किट कोर्ट) कैम्प-रीवा

20 सत्यमेव जयते रु.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

296
5.8.15

1. बिन्दु पत्नी हरवंश प्रसाद, उम्र-36 वर्ष,
2. रामावतार पिता स्व. देवराज, उम्र-81 वर्ष,
3. गंगा प्रसाद पिता स्व. रामकृपाल, उम्र-71 वर्ष

तीनो निवासी करही पवाई, तहसील-रघुराजनगर, जिला सतना, (म.प्र.) ....**निगराकारगण**

बनाम

1. नर्वदा प्रसाद पिता स्व. रामकृपाल, उम्र-61 वर्ष,
2. गोमती प्रसाद पिता स्व. रामकृपाल, उम्र-59 वर्ष,

दोनों निवासी करही पवाई, तहसील रघुराज नगर, जिला-सतना (म.प्र.) ....**गैर निगराकारगण**

श्री. राजेन्द्र शर्मा एड के द्वारा आज दिनांक. 05-8.15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रघुराजनगर, जिला-सतना, (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक-52/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 13.07.15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता - 1959

मान्यवर,

निगराकारगण निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर सादर विनय करते है कि :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय

बिन्दू तिवारी गंगा

Conti.....2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3474/01/15 जिला सतना

बिन्दु / नर्मदा प्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.8.15	आवेदक की ओर से श्री राजेन्द्र शर्मा अभिभाषक उपस्थित। उन्हे शीघ्र सुनवाई के आवेदन सहित निगरानी की ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा ग्राम करही पवाई की नामांतरण पंजी क्र० 33 आदेश दिनांक 21-10-03 से हुए नामांतरण को निरस्त कराये जाने हेतु अनु०अधि० के न्याया० में अपील प्रस्तुत की गई, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, जबकि उन्हे नामांतरण आदेश की पूर्व से ही जानकारी थी मात्र परेशान करने की नियत से अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 13-7-15 से विलम्ब क्षमा का आवेदन स्वीकार कर प्रकरण गुणदोष के आधार पर निराकरण करने हेतु अंतिम तर्क के लिये नियत किया गया जो गैर कानूनी है क्योंकि अनावेदक द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की प्रत्येक दिन का जानकारी न देकर कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। ऐसी स्थिति में निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य करने का निवेदन किया गया। इसके अतिरिक्त वही तर्क दिये जो निगरानी मेमो में अंकित है। तर्कों के परिप्रेक्ष्य में निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं तथा अनु० अधि० के द्वारा जारी आदेश दिनांक 13-7-15 का अवलोकन किया गया। अनु० अधिकारी द्वारा अपने आदेश से अवधि विधान धारा 5 के आवेदन को स्वीकार	

[कृ. प. उ.

R 2974-III/15 रतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कर प्रकरण को गुण दोष के आधार पर निराकरण करने के लिये अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है अनु० अधिकारी का आदेश दिनांक 13-7-15 अंतरिम आदेश है अंतिम आदेश नहीं है ऐसी स्थिति में अनु० अधिकारी द्वारा जारी आदेश दिनांक 13-7-2015 से किसी भी पक्ष के हित अनुचित रूप से प्रभावित होने की सम्भावना/हानि वर्तमान में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अनु० अधिकारी द्वारा प्रकरण में उभय पक्ष के अंतिम तर्क सुनकर प्रकरण गुणदोष के आधार पर निराकरण करने हेतु नियत किया गया है.	
	उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अनुविभागीय अधि प्रकरण क्रमांक 52/अपील/14-15 में पारित आदेश दिनांक 13-7-15 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी उभयपक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर संहिता में निहित प्रावधानों के प्रकाश में नीतिगत आदेश पारित करें एवं उभयपक्ष अपना पक्ष अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष रखें जैसा उन्हें अवसर प्राप्त है। इस निर्देश के साथ प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।	
	[signature] सदस्य	
[signature] 31/8/15		